ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

आर०ई० वाद सं०–23 / 2018–19

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
21.02.24	**आदेश** प्रस्तुत आर०ई० वाद संख्या–23 / 2018–19 (मीरा देवी–बनाम –बरूण ओझा एवं अन्य) आवेदिका मीरा देवी, पति–लक्ष्मण मण्डल, सा०–करौं, थाना–करौं, अंचल–करौं, जिला–देवघर के द्वारा विपक्षी बरूण ओझा एवं मुकेश ओझा, पिता–स्व० सत्यनारायण ओझा, सा०–करौं, थाना व अंचल–करौ, जिला–देवघर को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् प्रशनगत भूमि मौजा–करौं, जमाबंदी नं०–400, दाग नं०–1915, रकवा–0.24 ए० जमीन से उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। 02. इस संबंध में अंचल अधिकारी, करौं से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक–52 / रा०, दिनांक–04 / 01 / 2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण–पृच्छा की मांग की गई। विपक्षी का कारण–पृच्छा प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। 03. इस संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधुपुर से भी स्थलीय जाँच कराई गई। उनके पत्रांक–581 / सा0, दिनांक–29.05.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। 04. अंचल अधिकारी, करौं एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधुपुर ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदिका का जमीन मौजा–करौं, जमाबंदी नं०–400, दाग नं०–1915, रकवा–24 डी0, किस्म–बाड़ी योतिन्द्र चन्द्र चन्द, पिता–केदार चन्द्र चन्द के नाम से गेंजर पर्चा में दर्ज है। विपक्षी बरूण ओझा का उक्त जमीन के अंश रकवा–14 डी0 पर मकान, हाता, कुआँ, मंदिर, पेड़ के रूप में वर्षो से दखलकार है तथा 10 डी0 जमीन परती खाली के रूप में पड़ा हुआ है, इस पर विपक्षी का कोई दावा नहीं है। विपक्षी द्वारा अपने जमाबंदी जमीन मौजा–करौं, जमाबंदी नं०–144, दाग नं०–235, अंश रकवा–14 डी0 नोट्ररी के माध्यम से बदलेन स्वरूप आवेदिका–मीरा देवी को दिया गया है, परन्तु बदलेन विधिवत नहीं किया गया है।	

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3

05. विपक्षी का कथन है कि हमारे पूर्वज ने परिवर्त्तन नाम (बदलेन) के माध्यम से आवेदित भूमि प्राप्त किया है, जिसपर मकान, हाता, पेड़, कुआँ एवं मंदिर बनाकर लगभग 50 वर्षो से बसोवास करते आ रहे हैं।

06. इस संबंध में विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उभय पक्ष द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि रैयती जमाबंदी है, जो अहस्तांतरणीय है। विपक्षी का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है। उभय पक्ष के बीच विधिवत बदलेन सक्षम पदाधिकारी के स्तर से नहीं हुआ है। परन्तु फिर भी विपक्षी द्वारा गैरकानूनी रूप से आवेदित भूमि पर मकान, मंदिर, चाहरदिवारी एवं कुआँ बनाकर वर्षो से बसोवास करते आ रहे हैं, जो संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–20 के विरूद्ध है।

07. अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विपक्षी बरूण ओझा एवं मुकेश ओझा, पिता–स्व० सत्यनारायण ओझा, सा०–करौं, थाना व अंचल–करौ, जिला–देवघर को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–42 के तहत् प्रशनगत भूमि मौजा–करौं, जमाबंदी नं०–400, दाग नं०–1915, रकवा–0.24 एकड़ भूमि से उच्छेद किया जाता है। तद्नुसार उच्छेदी परवाना निर्गत करें।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, करौं को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित

21/02/24

अनुमण्डल पदाधिकारी,
मधुपुर।

21/02/24

अनुमण्डल पदाधिकारी,
मधुपुर।

Digitally signed by AASHISH AGARWAL
Date: 2024.03.21 16:33:50 +05:30
Location: 192.168.29.96